

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
महानगर दूरसंचार भवन,
जाकिर हुसैन कॉलेज के निकट (पुराना मिंटो रोड)
नई दिल्ली-110002
खुली निविदा पूछताछ

बोली का ब्योरा	
कार्य का नाम	(एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के स्वामित्व वाली फोटोकॉपी मशीनों की व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा (सीएएमसी), और (दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मुख्यालय, दिल्ली में किराए के आधार पर हैवी ड्यूटी फोटोकॉपीयर मशीनों हेतु एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त करना।
बोली संख्या	7-01/2020-जीए
बोली आरंभ किए जाने की तिथि/ समय	19 नवम्बर, 2020, 09:00 बजे
बोली समाप्त किए जाने की तिथि/ समय	04 दिसम्बर, 2020, 15:00 बजे
बोली खोले जाने की तिथि/ समय	04 दिसम्बर, 2020, 15:30 बजे
निविदा प्रारूप उपलब्ध हैं	निविदा दस्तावेज का पूर्ण सेट, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट अर्थात् http://www.trai.gov.in/content/Tender.aspx के साथ साथ सीपीपी पोर्टल अर्थात् http://www.eprocure.gov.in/eprocure/app से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
दो वर्ष की संविदा की अवधि के लिए कुल अनुमानित लागत	दो वर्ष के लिए लगभग 8 लाख रुपये
ईएमडी का ब्योरा	16,000/- रुपये
संविदा की अवधि	24 माह (दो वर्ष)
पीबीजी प्रतिशत (प्रतिशत)	संविदा मूल्य के 5 (पांच) प्रतिशत के समकक्ष राशि
पीबीजी की अपेक्षित अवधि (माह में)	26
बोलीदाता का औसत कारोबार (पिछले तीन वर्षों का)	15 लाख रुपये
बोलीदाता से अपेक्षित दस्तावेज	1.ईएमडी से छूट प्राप्त करने की स्थिति में एमएसएमई प्रमाणपत्र 2. अनुभव/ कारोबार मानदंड प्रमाणपत्र 3. फर्म और उपक्रम को किसी सरकारी संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाले जाने/ विवर्जित नहीं किए जाने के संबंध में ब्योरा

1. जहां कहीं भी लागू हो, ईएमडी और निष्पादन धरोहर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पक्ष में होनी चाहिए,
2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के स्वामित्व वाली बारह (12) फोटोकॉपीयर मशीनों के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) के लिए एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त करने और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के

मुख्यालय, दिल्ली में चार (4) हैवी फोटोकॉपियर मशीनें किराए पर लेने के लिए दिल्ली स्थित फर्म से सीलबंद सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

3. बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज को सावधानीपूर्वक पढ़ने और उसमें अंतर्विष्ट विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ उनके प्रभावों को समझने की सलाह दी जाती है।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

(मनीष नेगी)

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी-I (सामान्य प्रशासन)

दूरभाष नम्बर : 011- 23664141 / 142

धारा- एक
निविदा प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध

1- प्रस्तावना

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(छूरसंचार विनियामक प्राधिकरण), जोकि भारत सरकार का सांविधिक निकाय है, धारा दो में उल्लिखित 'ठेकेदारों को शासित करने वाले नियमों और शर्तों' में विहित निम्नलिखित सेवा शर्तों के अनुसार प्रतिष्ठान को कार्य मे लगाना चाहता है-

एक) दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के स्वामित्व में फोटोकॉपी मशीन (अनुबंध-एक (क) का व्यापक वार्षिक रखरखाव करार(सीएएमसी) और

दो) दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण , मुख्यालय, नई दिल्ली (अनुबंध-एक (ख) में हैवी ड्यूटी फोटोकॉपी मशीन उपलब्ध कराना

2. वास्तविक प्रस्ताव

बोली लगाने वाला वास्तविक होना चाहिए जिसका अर्थ है उसकी कंपनी होनी चाहिए

(क) भारत में प्रतिष्ठान का पंजीकरण होना चाहिए,

(ख) स्थायी खाता संख्या होनी चाहिए,

(ग) यथा लागू जीएसटी नंबर होना चाहिए,

(घ) उस कंपनी का 31.03.2020 को पिछले पाँच वर्षों के दौरान केंद्रशाज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ प्रतिष्ठित निजी कंपनी/ बहुराष्ट्रीय कंपनी में समान कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो एवं यह ठेका चल रहा हो;

(ङ) पिछले तीन वर्ष का औसत कारोबार 15 लाख रुपये होना चाहिए ;

(च) एएमसी कार्य को सही और प्रभावि तरीके से करने के लिए उसके पास योग्य और अनुभवी कर्मचारी और सेवा होनी चाहिए ;

(छ) मुख्यतः दिल्ली या दिल्ली एन सी आर में उनके कार्यालय भवन होने चाहिए ;

(ज) इस भाग में अन्यत्र निहित अन्य अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करना।

3. निविदा दस्तावेज

निविदा दस्तावेज में उपर्युक्त धारा- एक के पैरा 2 में सूचीबद्ध सभी दस्तावेज होने चाहिए। इन्हें नीचे दर्शाए गए (अनुबंध दो) के अनुरूप साथ में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा। अपूर्ण या शर्तों वाली निविदा भी निरस्त कर दी जाएगी।

4. विविदा का प्रेषण- समय-सीमा/ तरीका

विधिवत भरे निविदा दस्तावेजों को दो अलग अलग हिस्सों में भरा जाएगा-

एक) पहला भाग पृथक लिफाफे में सीलबंद होगा और इसके उसमें सभी सूचनाएं शामिल होंगी जो दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ई एम डी (धारा- दो का पैरा 5) और नीचे पैरा 4.1.1 में सूचीबद्ध अन्य दस्तावेज एवं धारा में अन्यत्र कहीं, के अनुरूप निविदा लगाने

वाले की प्रत्यय पत्र की जांच करने का निर्णय लेने में मदद करेगा।

दो) दूसरे भाग में वित्तीय बोली शामिल होगी और दूसरे लिफाफे के ऊपर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के स्वामित्व वाले 12 फोटोकॉपी मशीनों का व्यापक वार्षिक रखरखाव ठेका और दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, मुख्यालय, नई दिल्ली में किराए के आधार पर चार हैवी ड्यूटी फोटोकॉपी मशीन के लिए वित्तीय बोली लिखा होगा।

तीन) दोनों लिफाफों को एक लिफाफे में सील किया जायेगा और इसके ऊपर दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के स्वामित्व वाले 12 फोटोकॉपी मशीनों का व्यापक वार्षिक रखरखाव ठेका और दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मुख्यालय, नई दिल्ली में किराए के आधार पर चार हैवी ड्यूटी फोटोकॉपी मशीन के लिए ओटीई लिखा होगा और निम्नलिखित पाते पर भेज जाएगा-

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामान्य प्रशासन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)
एम डी एस भवन, जे एल नेहरू मार्ग
ओल्ड मिंटो रोड , जाकिर हुसैन कॉलेज
नई दिल्ली-110002

4.1.1. तकनीकी बोली में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें-

◆ निविदा प्रस्तुत करने का पत्र (अनुलग्नक- तीन)।

◆ निविदा दस्तावेज के सभी पन्नों पर प्रतिष्ठान का विधिवत हस्ताक्षर और मुहर लगी हो।

◆अग्रिम राशि जमा के लिए 16,000 रुपये (सोलह हजार रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट तथा ईएमडी धनराशि से छूट पाने के लिए एमएसएमई प्रमाणपत्र संलग्न करें।

◆पैन कार्ड की प्रति।

◆ जी एस टी पंजीकरण का प्रमाण।

◆निर्धारित वर्षों के लिए अनुभव प्रमाणपत्र और वर्तमान में चलने वाले ठेके के दस्तावेज।

◆प्रतिष्ठान के पंजीकरण या स्थापना या अपेक्षित मुख्तारनामा, यदि कोई हो,की प्रति।

◆दिल्ली एनसीआर में कार्यालय स्थान का विवरण और प्रतिष्ठान का नाम।

◆इस आशय का प्रमाणपत्र कि निविदा को केन्द्र/ राज्य सरकार/ सर्वाधिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है या इसके करार को खराब कार्यनिष्पादन के कारण निरस्त कर दिया गया है (अनुबंध- चार)

◆पिछले तीन वर्ष के दौरान कारोबार का प्रमाण।

4.1.2 अनुबंध चार में दिए गए अधिसूचित दर को विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया जाए और इसे वित्तीय बोली में भरा जाएगा।

4.2 जैसा कि पैरा में वर्णित है, विधिवत पूर्ण निविदा दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कार्यालय को 04 दिसम्बर, 2020 अपरान्ह तीन बजे निश्चित रूप से भेज दिया जाए। 04 दिसम्बर, 2020 को अपराह्न तीन बजे के बाद निविदा किसी भी तरह से स्वीकार नहीं की जाएगी।

4.3 मुहरबंद निविदा व्यक्तिगत रूप में स्वीकार की जाएगी। फ़ैक्स/ईमेल द्वारा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।छूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास प्रस्तुत करने की तारीख या निविदा खोलने के समय को बढ़ाने का अधिकार है।

4.4 यदि निविदा खोलने के दिन अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में एक साथ प्राप्त और खोली जाएगी।

4.5 सभी दरों को समुचित फॉर्म अर्थात एस ओ आर (अनुबंध- चार) में ही उद्धृत किया जाएगा और जैसा कि उपरोक्त पैराओं में वर्णित है, प्रत्येक पेज पर निविदाकर्ता या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

4.6 कार्य का क्षेत्र और ठेके की नियम और शर्तों विषय पर खंड दो में वर्णित कार्य के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए एस ओ आर को सावधानी पूर्वक भरा जाए। करार की दरों तथा नियम और शर्तों में किसी परिवर्तन या बदलाव के अनुरोध को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा कि निविदाकर्ता को इस निविदा दस्तावेज में दिए गए कार्य की जानकारी नहीं थी। दर

अनुसूची में किसी भी तरह की ओवर राइटिंग से बचा जाए। गलती होने पर इसे स्पष्टतः काट दिया जाए और शुद्ध किये गए हिस्से पर निविदाकर्ता या प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर किया जाए और प्रतिष्ठान की मुहर लगाई जाए ।

4.7 यदि दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निविदाकर्ता को बुलाये जाने की स्थिति में उसे दरों का विश्लेषण प्रस्तुत करना होगा।

4.8 दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को निम्नलिखित अधिकार होगा –

- ◆ बिना किसी कारण बताएं तकनीकी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार।
- ◆ बिना किसी कारण बताएं, वित्तीय बोलियां ,चाहे वे न्यूनतम क्यों ना हो, को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार।
- ◆ यदि भादूविप्रा के हित में करार को अंतिम रूप देने के प्रयोजन हेतु आवश्यक माना जाता है तो किसी भी स्तर पर निविदा संबंधी शर्तों में छूट दी जा सकती है।
- ◆ केंद्र/ राज्य सरकारों/ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा काली सूची में डाले गए निविदाकर्ता या जिन्हें खराब कार्यनिष्पादन के कारण पत्र लिखे गए हैं, को अयोग्य घोषित करना।

4.9 वास्तव में किए गए कार्य में किसी भी तरह का परिवर्तन, बदलाव और/या चूक के कारण निविदाकर्ता द्वारा निविदा में कोट किए गए दरों में किसी तरह के विवाद का आधार नहीं बनेगा। निविदा करता द्वारा कोर्ट किए गई दरें कार्य पर विचार किए बिना लागू होंगी।

4.10 निविदा शब्द और अंकों में अवश्य कोट की जानी चाहिए। यदि अंकों और शब्दों में कोट की गई दरों में अंतर है तो शब्दों में कोट की गई दर को सही और मान्य माना जाएगा। यदि एक से अधिक अनुचित दर निविदा में दी गई है तो निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.11 निविदा दस्तावेज का प्रत्येक फोलियो और इसके साथ संलग्न प्रत्येक सहायक दस्तावेजों पर भावी निविदाकर्ता या उसकी ओर से कानूनी रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा एवं इसे प्रस्तुत करते समय ऑफिशियल मुहर लगाई जाएगी।

4.12 निविदा, जिसमें मिटाया गया हो, परिवर्तन किया गया हो अथवा उपरिलेखन किया गया हो ,उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि सुधार आवश्यक है तो इसे इंक के साथ किया जाएगा और ऐसे सभी सुधारों पर निविदाकर्ता का पूर्ण हस्ताक्षर युक्त प्रमाणन होना चाहिए।

5 बोलियों को खोलना

5.1 तकनीकी बोली निर्धारित तिथि पर अपराह्न 3.30 बजे खोली जाएगी। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता द्वारा प्राधिकृत एक प्रतिनिधि को इसमें भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। बोली खोलते समय निविदाकर्ता के उपस्थित प्रतिनिधि इस आशय का एक प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करेंगे (प्रारूप अनुबंध पांच में दिया गया है)।

5.2 तकनीकी रूप से दक्ष बोलीदाता की वित्तीय बोली खुलने की सूचना बाद में दी जाएगी।

5.3 निविदाकर्ता के नाम, प्रस्तुत दस्तावेज, आशोधन, वापस ली गई बोली और अन्य ब्योरा, जो इस कार्यालय द्वारा इसके विवेक से उचित समझा गया है, की घोषणा खोलने के समय दी जाएगी।

5.4 यदि बोली खोलने की निर्धारित तिथि को बाद में छुट्टी घोषित की जाती है तो बोली अगले कार्य दिवस को उसी समय और स्थान पर बिना किसी बदलाव के खोली जाएगी।

6- पूर्व के अनुभव

इस निविदा में उस कंपनी का 31 मार्च, 2020 को पिछले पाँच वर्षों के दौरान केंद्र/राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ प्रतिष्ठित निजी कंपनी/एम एन सी में समान कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो एवं यह ठेका चल रहा हो ,इसका ब्योरा संलग्न हो। अनुभव उसी नाम/ प्रतिष्ठान/ संरचना का हो जिसके लिए वह करार का आवेदन कर रहा है। निविदा, जिसके साथ संतोषजनक प्रत्यय पत्र नहीं लगे हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7 . स्थानीय स्थितियों का अध्ययन

निविदाकर्ता को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अपने खर्च पर कार्यस्थल का दौरा करें और स्थानीय परिस्थितियों, कार्य तक पहुँच के साधन और कार्य की प्रकृति आदि से परिचित हों।

8. प्रस्ताव की वैधता

निविदाकर्ता को निविदा प्रस्तुत करने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए प्रस्ताव को खुला रखना होगा। यह माना जाएगा कि निविदाकर्ता द्वारा निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर लिए गए हैं और निविदाकर्ता को शर्त के साथ निविदा को प्रस्तुत करना होगा तथा अपनी निविदा प्रस्तुत करने के बाद वह अपना प्रस्ताव छोड़ नहीं पाएँगे या किसी रूप में इसके नियमों और शर्तों में बदलाव नहीं कर पायेंगे जोकि भादूविप्रा द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि निविदाकर्ता ऐसा करने या उक्त शर्तों का पालन करने में विफल रहते हैं तो धारा एक के पैरा 4.1.1 के अंतर्गत बकाया राशि दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

9. निविदा की सविकृति

9.1 निविदा दस्तावेजों और दिए गए दरों की स्वीकृति का सक्षम प्राधिकार दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास होगा।

9.2 निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी निविदा दस्तावेज दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की संपत्ति बन जायेगा और दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण उसे निविदाकर्ता को लौटाने के लिए बाध्य नहीं होगा।

9.3 निविदा के संबंध में गलत जानकारी का पूर्णतः प्रतिषेध है और निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा, जिसमें जानकारी तोड़-मरोड़ कर दी गई है, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

9.4 निविदा के संबंध में गलत जानकारी देने का पूर्णतया प्रतिषेध है एवं निविदाकर्ता जिसने निविदा के संबंध में गलत जानकारी प्रस्तुत की है तो उसकी निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा।

9.5 यदि निविदाकर्ता इस निविदा में जानबूझकर कोई गलत जानकारी देता है या कोई सूचना/ तथ्य छुपाता है, जो छलपूर्वक निविदा को स्वीकार करने के अनुकूल होगा तो दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को ऐसी निविदा किसी भी चरण पर बिना वित्तीय देयता रद्द करने का अधिकार होगा।

10. समझौते का कार्यकरण

सफल निविदाकर्ता को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से अपनी लागत पर पीजीबी धनराशि प्रस्तुत करने के बाद दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से समझौता करना होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर निविदा को स्वीकार करने के द्वारा सम्पूर्ण हुए करार का उल्लंघन माना जायेगा।

11. पत्राचार हेतु डाक का पता

प्रत्येक निविदाकर्ता निविदा में अपने डाक के पते उल्लेख स्पष्ट रूप से करेगा। उक्त पते पर डाक द्वारा निविदाकर्ता को भेजे गए पत्र को माना जाएगा कि वह निविदाकर्ता को समय पर मिल गया है।

12. गोपनीयता

12.1 फर्म, भादूविप्रा द्वारा दिए गए सभी सूचना को गोपनीय मानेगा और वह इन सूचनाओं को भादूविप्रा के लिखित अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को सूचना साझा नहीं करेगा।

13. अप्रत्याशित घटना

13.1 करार के जारी रहने के दौरान किसी समय करार में विनिर्दिष्ट कोई कार्य का फर्म द्वारा निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से युद्ध या बंधक, जन शत्रुता के कार्य, नागरिक विप्लव, तोड़-फोड़, राज्य के कार्य या सांविधिक प्राधिकारी से निदेश, बम विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, अग्नि, बाढ़, प्राकृतिक आपदा या ईश्वर के कृत्य, (इसमें इसके पश्चात घटना के रूप में

संदर्भित), बशर्ते कि किसी ऐसी घटना के होने की सूचना एजेंसी द्वारा भादूविप्रा को इसके घटने के तारीख से सात कैलेंडर दिवस के अंदर लिखित में दिया जाए, तो फर्म को अपने कार्य निष्पादन में छूट दी जा सकती है। बशर्ते यह भी कि ऐसी घटना के समाप्त होने या नहीं रहने के पश्चात फर्म द्वारा संविदा के अंतर्गत कार्य यथा शीघ्र शुरू किया जाएगा। भादूविप्रा का निर्णय कि क्या कार्य इस प्रकार शुरू किया जा सकता है (और समय-सीमा जिसके अंतर्गत कार्य शुरू किया जा सकता है) या नहीं, अंतिम और निर्णायक होगा।

13.2 यद्यपि उपर्युक्त अप्रत्याशित घटना से करार की अवधि में किसी प्रकार से विस्तार नहीं करेगा।

14. मध्यस्थता

14.1 भादूविप्रा और फर्म के बीच इस करार के अंदर आए किसी मामले में या इससे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उद्भूत या उक्त करार के निबंधन और शर्तों के कार्यान्वयन के मामले में उक्त करार से आनुषंगिक या संबंधित मामले के संबंध में उद्भूत विवाद की स्थिति में मामले को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में सलाहकार (ए), भादूविप्रा को इस तथ्य के बावजूद भेजा जाएगा कि ऐसा अधिकारी प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः इस करार से जुड़ा हुआ है। फर्म को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में भादूविप्रा के ऐसे अधिकारी की नियुक्ति पर कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होता है। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और करार के दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा जो मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन होगा। पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत होते हैं कि मध्यस्थम कार्यवाही नई दिल्ली में होगी। माध्यस्थम की भाषा केवल अंग्रेजी होगी।

(मनीष नेगी)

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामान्य प्रशासन)

भाग- दो
करार को शासित करने वाले नियम और शर्तें

1. प्रस्तावना

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है जो संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया है। यह भारत में एक नियामक की तरह कार्य करता है।

2. क्षेत्र और कार्य की प्रकृति

2.1 ठेकेदार द्वारा व्यापक प्रकृति वाले कार्य किये जायेंगे जोकि निम्नलिखित हैं-

सेवा	संख्या।	ब्योरा
छूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के स्वामित्व वाले 12 (बारह) फोटोकॉपी की मशीन (अनुबंध-एक (क) के ब्योरे के अनुरूप) व्यापक वार्षिक ठेका (सी ए एम सी)हेतु एजेंसी की सेवा लेना	12 मशीन	फोटोकॉपी मशीन का व्यापक रखरखाव (ब्योरा क)
छूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के दिल्ली मुख्यालय में (ब्योरा अनुबंध- एक ख में) चार हैवी ड्यूटी फोटोकॉपी मशीन प्रदान करना	04 मशीन	नामी ब्रांडों (शार्प/ कैन्नन/ जेरॉक्स/ कोनिका मिनोलता) के अनुमोदित चार अच्छी स्थिति वाले हैवी ड्यूटी फोटो स्टेट मशीन प्रदान करना

2.2 निविदाकर्ता दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के स्वामित्व वाले फोटोकॉपी मशीनों के प्रचालन और व्यापक रखरखाव के लिए योग्य और अनुभवी सेवा इंजीनियर भेजेगा।

2.3 निविदाकर्ता नामी ब्रांडों (शार्प/ कैन्नन/ जेरॉक्स/ कोनिका मिनोलता) के अनुमोदित चार अच्छी स्थिति वाले हैवी ड्यूटी फोटोस्टेट मशीन प्रदान करेगा और इन्हें अधिष्ठापन से पहले अच्छी स्थिति में कार्य करना चाहिए। फर्म द्वारा प्रदान की गई मशीन अधिष्ठापन के समय दो वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी। इस बारे में दस्तावेज दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रदान किये जायेंगे। दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण किराये पर ली गयी फोटोकॉपी मशीन को स्थान और विद्युत की आपूर्ति करेगा। प्राधिकरण के कार्यालय परिसर में स्थापित मशीन को प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जाएगा।

2.4 कंपनी सभी कार्य दिवस में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक अनुरक्षण सेवा प्रदान करेगा। यदि आवश्यकता हो, तो कंपनी शिकायत की पूर्व सूचना मिलने पर छुट्टी के दिन भी सेवा प्रदान करेगा।

2.5 शिकायत फोन से या ईमेल से या निविदाकर्ता द्वारा स्थापित हेल्पडेस्क पर व्यक्तिगत रूप में की जा सकती है।

2.6 निविदाकर्ता को फोटोकॉपी मशीन के रखरखाव के लिए जरूरी ड्राइवर/ सॉफ्टवेयर के साथ साथ उपकरणों की जांच और मरम्मत के लिए उपयुक्त उपकरण/ औजार का प्रयोग करेगा। यदि आवश्यक है तो वह ऑपरेशन सिस्टम को अपडेट/ अनुरक्षण करेगा और प्रयोक्ता द्वारा प्रदान किये गए सॉफ्टवेयर को लगाएगा एवं पैचेज, एप्लीकेशन का कॉन्फिगरेशन (क्लाइंट साइड) और ड्राइवर आदि को अपडेट करेगा।

2.7 सभी मशीनों का निवारक रखरखाव 15 दिन में एक बार किया जाएगा। निविदाकर्ता एक लॉग शीट बनाएगा, जिसमें करार अवधि के दौरान प्रदान की गई सेवाओं की संख्या, उसकी तारीख, मरम्मत या बदले गए पुर्जे का हिस्सा, उसके मॉडल और आवश्यक ब्योरा शामिल होगा।

2.8 फर्म का इंजीनियर दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के समान्य प्रशासन अनुभाग के अनुदेशकों के अधीन काम करेगा और उसके द्वारा निपटाई गयी शिकायत का ब्योरा शिकायत पत्र पर देगा।

2.9 सीएएमसी में सभी प्रकार के दोषों का सुधार करना शामिल होगा। इंजीनियर को सभी शिकायतों पर उसी दिन काम करना सुनिश्चित करना होगा और किसी सिस्टम का अनुरक्षण समय केवल एक कार्य दिवस तक ही होगा।

2.10 कंपनी जब कभी भादूविप्रा के सुचारु कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होगा तब वह उसके स्वामित्व वाली मशीनों और किराए पर ली गई मशीनों के सभी निवारक अनुरक्षण करेगा, खराबी दूर करेगा, सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स/ सभी पुर्जे/ किसी भी कारण से हुए टूट-फूट बदलेगा, और सभी उपभोज्य मदें यथा टोनर, ड्रम, फिक्सिंग फिल्मस आदि निशुल्क करेगा।

2.11 फोटोकॉपी मशीनों की मरम्मत कार्यालय में ही होगा। यदि मरम्मत के लिए मशीन को ले जाना जरूरी होगा, तो भादूविप्रा के प्राधिकृत प्रतिनिधि का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

2.12 फर्म सभी दोषपूर्ण पार्टों को समान मेक और मॉडल से बदलेगा, तथापि, बाजार में उपलब्ध नहीं होने पर बदलने से पहले उपयुक्त वैकल्पिक मेक और मॉडल के लिए अनुमोदन लेना होगा। दोषपूर्ण पार्ट फर्म की संपत्ति होगी।

2.13 कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) के अतिरिक्त अप्राधिकृत व्यक्ति को मशीन पर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

2.14 यदि फोटोकॉपी मशीनों का अनुरक्षण नहीं किया जाता है और इस कारण से भादूविप्रा को कहीं और से अपने जोखिम और लागत पर अनुरक्षण कार्य करवाना पड़ता है, तो इस वजह से हुई हानि और नुकसान की भरपाई चूककर्ता

बोलीदाता के प्रतिभूति जमा राशि से वसूला जाएगा। यह शर्त किराए पर ली गई मशीनों के मामले से समान रूप में लागू होगी।

2.15 यदि दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का कार्यालय अपने स्थान से कहीं और चला जाता है तो एन सी आर के अंदर सेवाएं नए स्थान पर वेंडर द्वारा दी जाएगी।

3. भुगतान की शर्तें और अर्थदंड संबंधी खंड

3.1 फर्म को एएमसी शुल्क का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा और तीन माह समाप्त होने के बाद अंतिम माह में 10 तारीख तक बिल जमा कर दिया जाए। तिमाही कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत एनईएफटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

3.2 प्रयोज्य नियमों के अनुसार टीडीएस और सभी अन्य कर की कटौती की जाएगी।

3.3 फर्म को शिकायत मिलने पर उसके प्रतिनिधि तुरंत उसी दिन कार्रवाई करेंगे। यदि शिकायत शाम में प्राप्त होती है तो इस पर कार्रवाई अगले दिन दोपहर तक की जाएगी। शिकायतों पर कार्रवाई नहीं किए जाने/दिए गए समय सीमा में दोषपूर्ण पार्टों को नहीं बदलने पर जुर्माने के रूप में प्रति मशीन प्रति दिन 200/- रुपये प्रभारित किया जाएगा और इसे मासिक बिल में से काट लिया जाएगा।

4. संविदा की अवधि

4.1 आरंभिक चरण में पीबीजी/सुरक्षा जमा समझौते के शुरू होने से दो वर्ष की अवधि के लिए संविदा दी जाएगी। भादूविप्रा को इसे एक और वर्ष या ज्यादा वर्षों के लिए बढ़ाने का अधिकार होता है जोकि भादूविप्रा के नियमों और शर्तों पर परस्पर रूप में होगा।

4.2 भादूविप्रा के पास बिना कोई कारण बताए किसी समय समझौते को रद्द करने का अधिकार होगा। तथापि, भादूविप्रा और सफल बोली लगाने वालों के बीच एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

4.3 यह प्रतिष्ठान के लिए अनिवार्य होगा कि वह समझौते की समाप्ति की अगली तारीख तक विद्यमान दरों या करार समाप्त होने के तीन महीने बाद या नए करार को अंतिम रूप दिए जाने तक, जो पहले हो, उक्त दरों पर कार्य करना होगा।

4.4 भादूविप्रा के पास करार देने समय कयादेश की मात्रा में 25 प्रतिशत वृद्धि या कमी का अधिकार होगा। भादूविप्रा के पास करार की अवधि के दौरान करार की दरों पर 25 प्रतिशत कयादेश बढ़ाने का अधिकार भी होगा। बोलीदाता को तदनुसार आदेश स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे।

5 अग्रिम राशि जमा

5.1 बोलीदाता पूर्व अर्हता बोली के साथ पेशगी राशि के रूप में 16000 रुपये (सोलह हजार रुपये मात्र) जमा करेगा। पेशगी राशि बोलीदाता के एक शपथपत्र की तरह है जोकि उसके प्रस्ताव को वापस न लेने या नियमों और शर्तों में इस तरह बदलाव न करने के लिए है जो दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को स्वीकार्य न हो। यदि बोलीदाता उक्त शर्तों को मानने या अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो ई एम डी की पूरी राशि दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

5.2 उपरोक्त पैरा 4.1 के अधीन जमा दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पक्ष में नई दिल्ली में देय होगी जोकि भुगतान आदेश या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होगा एवं यह जारी करने के तारीख से कम से कम छह माह के लिए मान्य होगी।

6. निष्पादन प्रतिभूति जमा

6.1 सफल बोलीदाता जिसका दर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है, निष्पादन प्रतिभूति जमा के रूप में संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) के बराबर जमा करेगा। निष्पादन प्रतिभूति वाणिज्यिक बैंक के खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा राशि की रसीद के रूप में जमा किया जा सकता है और यह वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में होगा।

6.2 निष्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्यता सहित आपूर्तिकर्ता के सभी संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने की तारीख के बाद 60 दिनों के लिए वैध होना चाहिए।

6.3 कार्य नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि जब्त हो जाएगी। उक्त निष्पादन जमा की प्राप्ति होने पर सफल बोलीदाता को ईएमडी लौटा दी जाएगी।

6.4 प्रतिभूति जमा/पीबीजी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा और संविदा अवधि के सफलता पूर्वक पूर्ण होने के उपरांत प्रतिभूति जमा/ पीबीजी वापस/ जारी कर दी जाएगी। यदि निविदाकर्ता उक्त शर्त का अनुसरण या अनुपालन करने में असफल रहता है तो ईएमडी राशि जब्त की जा सकती है।

6.5 सफलतापूर्वक बोली लगाने वाले के साथ औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर सुरक्षा जमा/कार्यनिष्पादन जमा के बाद की जाएगी। यदि निविदाकर्ता उक्त शर्त को मानने में असफल रहता है तो ईएमडी की राशि जब्त कर ली जाएगी।

नोट : विषय-सूची के साथ उक्त प्रत्येक मानदंडों के लिए दस्तावेजी साक्ष्य जमा करना है। सभी दस्तावेजों पर सीएस/प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर होने चाहिए। अर्हता मानदंडों के अनुसरण में जमा दस्तावेजों में प्रासंगिक भागों को चिह्नित करना चाहिए।

7 .सामान्य

7.1 दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास बिना कोई कारण बताए किसी समय समझौते को निरस्त करने का अधिकार होगा।

7.2 इन नियमों और शर्तों के किसी प्रावधान का अर्थ या अभिप्रेत या निर्वचन के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सलाहकार (ए) से ली जाएगी और मामले में जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। निविदा दस्तावेज में संगत कोई अन्य मामले जो कवर नहीं है, का भी निर्णय उनसे संदर्भित होगा और उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

मनीष नेगी
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामान्य प्रशासन)

क. फोटोकॉपीयर मशीन का ब्योरा

क्रम संख्या	मॉडल नं०	मशीनों की संख्या
(क)	(ख)	(ग)
1	कैनन आई आर – 2020	1
2	कैनन आई आर – 2022	1
3	कैनन आई आर – 3245	1
4	शार्प – एमएक्सएन 310एन	5
5	शार्प – 5516	2
6	शार्प – 205	1
7	शार्प – 5127	1
	कुल	12

ख. हैवी ड्यूटी फोटोकॉपीयर मशीन की अवस्थिति

क्रम संख्या	मॉडल नं०	मशीनों की संख्या
(क)	(ख)	(ग)
1	3रा तल (कोर्ड)	1
2	5वां तल	1
3	7वां तल (सामान्य प्रशासन अनुभाग और सीए प्रभाग में एक-एक)	2
	कुल	4

क्रम संख्या	दस्तावेज पृष्ठ संख्या	पृष्ठ संख्या
1	निविदा प्रस्तुत करने का पत्र (अनुबंध-तीन)	
2	निविदा दस्तावेज जिसमे सभी पन्नों पर हस्ताक्षर और औपचारिक मुहर लगी हो।	
3	ई एम डी से छूट लेने की स्थिति में बकाया धन जमा/ एमएसएमई प्रमाणपत्र हेतु डिमांड ड्राफ्ट	
4	पैन कार्ड की फोटोकॉपी	
5	जी एस टी पंजीकरण का प्रमाण	
6	फर्म के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति	
7	दिनांक 31.03.2020 को पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रधराज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ प्रतिष्ठित निजी कंपनी/ बहुराष्ट्रीय कंपनी में समान कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो एवं यह ठेका चल रहा हो	
8	इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि निविदाकर्ता को केंद्र /राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है और खराब कार्य निष्पादन के कारण इनका ठेका रद्द नहीं किया गया है। (अनुबंध- पांच)	
9	उनके अधिकारियों का दिल्ली एनसीआर में होने का सबूत	
10	बोली खोलने (अनुबंध-तीन के अनुसार) के लिए प्राधिकार पत्र	
11	कोई अन्य दस्तावेज (कृपया स्पष्ट करें)	
12	अधिसूचित दरें (पृथक सीलयुक्त अनुबंध-छह के अनुसार)	
13	पिछले तीन वर्ष के कारोबार का सबूत	

(निविदा बोली, फर्म के लैटर हैड पर दी जाए)

निविदा प्रस्तुत करने का पत्र

सेवा में,

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (जीए)
कार्यालय, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकारण
महानगर दूरसंचार भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110 002

विषय: भादूपिप्रा के मुख्यालय, नई दिल्ली में इसके स्वामित्व वाली बारह (12) फोटोकॉपी मशीनों के लिए व्यापक वार्षिक
अनुरक्षण करार (सीएएमसी) एवं चार हैवी ड्यूटी फोटो कॉपियर प्रदान करने के लिए निविदा।

महोदय,

उपर्युक्त वर्णित करार हेतु निविदा दस्तावेज में दिए गए शर्तों के अधीन मैं इस एतद्वारा दस्तावेज में संलग्न
एसओआर (अनुबंध- चार) में विनिर्दिष्ट दरों पर भादूपिप्रा और इसके कार्यालय के लिए संविदाकार के रूप में कार्य करने ठेके
हेतु निविदा प्रस्तुत करता हूँ/ करते हैं कि मैं/ हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि मैं /हम करार दस्तावेजों के
प्रावधानों से पूरी तरह से अवगत हूँ/ हैं और मैं/ हम संतुष्ट हैं कि वे सही हैं तथा इसमें निर्धारित निबंधन और शर्तों को
पालन करने के लिए बाध्य हैं।

2. इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रमाण पत्र :बैंक / शाखा.....
- 2.1 अग्रिम राशि के रूप में भुगतान सं./डिमांड ड्रॉफ्ट सं दिनांक जोकि भादूपिप्रा, नई दिल्ली के पक्ष में देय है ।
- 2.2 आयकर पैन कार्ड की प्रति।
- 2.3 जीएसटी पंजीकरण की प्रति।
- 2.4 फर्म के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
- 2.5 दिनांक 31 मार्च, 2020 से पिछले पांच वर्ष के दौरान केन्द्र/राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ख्याति प्राप्त बड़ी निजी कंपनी/एमएनसी में समान कार्य का तीन वर्ष का अनुभव एवं करार चलने की प्रति।
- 2.6 इस आशय का प्रमाणपत्र कि हमारी फर्म की खराब कार्यनिष्पादन के कारण केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई द्वारा की सूची में नहीं डाला गया है या ठेका निरस्त नहीं किया गया है।
- 2.7 विधिवत भरी और हस्ताक्षरित दरों की सूची एक पृथक सीलबंद लिफाफे में संलग्न है। मैं/ हम स्पष्ट रूप से समझता हूँ/ समझते हैं कि भादूपिप्रा द्वारा मेरी/ हमारी पूर्व-अर्हता वाली बोली को स्वीकार करने के बाद इसे परवर्ती तिथि को खोला जाएगी।

- 2.8 दिल्ली एनसीआर में स्वयं का भवन होने का प्रमाणपत्र।
2.9 पिछले तीन वर्षों के कारोबार का प्रमाण।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि निविदा में दर्ज की गई प्रविष्टि और इसके साथ संलग्न अनुबंध सही है।

भवदीय

निविदाकर्ता(ओं)

नाम

मोबाइल/टेलीफोन नम्बर

पदनाम

पता

.....

घोषणा

1. मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री और
(एजेंसी/फर्म का नाम) का प्राधिकृत हस्ताक्षरी इस घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने और ओटीई दस्तावेज को कार्यान्वित करने के लिए सक्षम है।
2. मैंने ओटीई के सभी निबंधन और शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने के लिए वचनबद्ध है।
3. मेरे/ हमारे एजेंसी/ फर्म को भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग और भारत सरकार के उपक्रम के निविदा में भाग लेने से न तो काली सूची में डाला गया/ निषिद्ध/ दंडित किया गया है और न ही उसके संविदाओं को पिछले तीन वर्षों के दौरान खराब निष्पादन के आधार पर समाप्त कर दिया गया है।
4. उक्त आवेदन के साथ दी गई सूचना/ दस्तावेज मेरी जानकारी और विश्वास में सही और प्रमाणिक है। मुझे ज्ञात है कि कोई गलत सूचना/ जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने से समुचित कानून के अंतर्गत अभियोग की देयताओं के अतिरिक्त किसी सभी चरण में मेरे ओटीई को रद्द किया जा सकता है।

निविदादाता का हस्ताक्षर
कार्यालय की यथोचित रबड़ मुहर

नाम

पता

बोली खुलने के समय भाग लेने हेतु अधिकार पत्र

विषय: भादूविप्रा के मुख्यालय, नई दिल्ली में इसके स्वामित्व वाली बारह (12) फोटोकॉपी मशीनों के लिए व्यापक वार्षिक अनुरक्षण करार (सीएएमसी) एवं चार हैवी ड्यूटी फोटो कॉपियर उपलब्ध कराने के लिए निविदा खोलने के समय भाग लेने का प्राधिकार।

निम्नलिखित व्यक्तियों को नीचे दी गई प्राथमिकता के आधार पर निविदाकर्ताओंकी ओर से बोली खोलने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

नाम

नमूना हस्ताक्षर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

निविदाकर्ता की ओर से बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी

नोट:

1. बोली खुलने में भाग लेने के लिए केवल एक प्रतिनिधि को अनुमति दी जाएगी। वैकल्पिक प्रतिनिधि को भाग लेने की अनुमति तभी दी जाएगी जब नियमित प्रतिनिधि भाग न ले पाए।
2. यदि उपर्युक्त विहित प्राधिकार नहीं प्राप्त होता है, तो बोली खोले जाने वाले हॉल में प्रवेश प्राप्त करने की अनुमति देने से इंकार किया जा सकता है।

अनुसूची की दरें (एसओआर)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के स्वामित्व वाली बारह (12) फोटोकॉपियर मशीनों और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मुख्यालय, दिल्ली में चार (4) हैवी फोटोकॉपियर मशीनें किराए पर लेने के लिए के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी)

क्रम संख्या	मदों का ब्योरा	प्रति माह की जाने वाली प्रतियों की संख्या (संख्या)	प्रति सेट प्रति दिवस दर (रुपये में)			प्रतिमाह राशि (रुपये) (ड+च)	वर्ष के लिए राशि (रुपये में) (छX12)
			प्रति कापी दर (रुपये)	प्रति माह कुल दर (गXघ)	यथा लागू जीएसटी (--- प्रतिशत)		
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)
1.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के स्वामित्व वाली बारह (12) फोटोकॉपियर मशीनों का व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी)	90000					
2.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मुख्यालय, दिल्ली में चार (4) हैवी फोटोकॉपियर मशीनें किराए	25000					

	पर उपलब्ध कराया जाना						
	कुल						

कुल -----रुपये
(शब्दों में)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

नाम : -----

मोबाइल / दूरभाष नम्बर : -----

पदनाम : -----

पता : -----

नोट :-

- i) अनुसूची में ली गई प्रमात्रा अस्थायी है और वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- ii) फर्म द्वारा उद्धृत प्रति छायाप्रति की दरों में सभी प्रकार के कर / श्रम प्रभार / परिवहन / अधिष्ठापन शुल्क आदि शामिल होने चाहिए।
- iii) दरों की अनुसूची में कटिंग, विलोज अथवा उपरिलेखन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी और वित्तीय बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं।

यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।